

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक-2358 / रामपुर / 22793 / 2016, दिनांक, लखनऊ, मई 18, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक  
मुरादाबाद वृत्त,  
मुरादाबाद।

विषय: रामपुर में मुरादाबाद-टाण्डा-दढ़ियाल मार्ग किमी 30.284 की दायीं पट्टी पर ग्राम-खुआ नंगला तहसील-टाण्डा के खसरा सं 209 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-3035/14-1, दि 02.05.17

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के पृष्ठ 29 पर संलग्न गणना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.058998 हे 0 होता है, किन्तु प्रस्ताव 0.059 हे 0 का प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपके कार्यालय को लिखा गया है।

अतः उपरोक्तानुसार वास्तविक गणना के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
दिनांक: 18/05/2017

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-2358 / उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- प्रभागीय निदेशके सा 0वा 0 प्रभाग, रामपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- श्री अरुण ठाकले, वरिष्ठ मण्डल रिटेल सेल्स प्रबन्धक, इंडियन ऑयल कार्पो लि 0, बरेली।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
दिनांक: 18/05/2017

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उ0प्र0, लखनऊ।